



**भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद**  
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का स्वायत्त निकाय)  
जाकधर न्यू फारेस्ट, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)

सं० 58-21/54/2016 - भा०वा०अ०शि०प०

दिनांक 22 फरवरी, 2017

**अधिसूचना**

भावाशिप सोसाइटी के नियमों की धारा 22(बी)(iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा अधिशासी मण्डल के अनुमोदन से, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा सहायक वन संरक्षक, पे बैण्ड-3 रु० 15600 - 39100 + ग्रेड पे रु० 5400/- के पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

10.	भर्ती पद्धति : सीधी भर्ती या पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति अन्यथा प्रतिनियुक्ति
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन से भर्ती की जानी है तो वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाता है।	पदोन्नति : पे-बैण्ड - 2 : रु० 9300 - 20200 + ग्रेड पे रु० 4600/- में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले वन रेंज अधिकारियों से पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों को महानिदेशक आदेशानुसार अधिष्ठापन प्रशिक्षण/पुनरचर्चा पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। प्रतिनियुक्ति : किसी राज्य वन विभाग में समरूप पद पर कार्यरत अधिकारी या स्नातक की डिग्री धारक वन रेंज अधिकारी जिन्होंने ग्रेड पे रु० 4600/- में 8 वर्ष की सेवा कर ली हो।

यह संशोधन इस आदेश के जारी होने की तारीख से लागू होगा।

(राजीव कुमार तिवारी)  
सचिव,

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

प्रतिलिपि : गार्ड फाईल